बाबा स्टेशनरी, भीलवाड़ा बुक 230289

राजस्थान सरकार

ता. पेको स्टेश

(कायदा — 129)

7/12/2022

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नम्बर 8 के 19/7/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा (राज.) 11/10/2023

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला क्रमांक 5
183	54/2022	19/9/2022		

अनवान

सो.... अंकित / कैलाश धाकड़ ......बो ओमप्रकाश / मोतीलाल धाकड़

निवासी..... थड़ोदा ......निवासी......

घनश्याम धाकड़

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

डिक्रीदार

रेस्पाडेन्ट / बदयूनाव

बो...... बो......

[illegible]

28

[illegible]

[illegible] वादी [illegible]
[illegible] प्रतिवादी को [illegible]
[illegible] कोई [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

दालत ______ मुकाम ______

______ बनाम ______

मुकदमा ______ नं. ______ वर्ष

ारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 24/1/24 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 28/2/24 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 20/3/24 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 24/4/24 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 8/5/24 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
5/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 29/5/24 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29/5/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 19/6/24 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
19/6/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 26/6/24 को पेश हो उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा
26/6/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 9/7/24 को वास्ते निर्णय पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
9/7/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय 16/7/24 को पेश हो उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा
16/7/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली में निर्णय पृथक से अलग लिखवाया गया एवं खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमान अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 54/2022 **दायर तारीख 19.09.2022**

अनवान्

1. अंकित पुत्र कैलाश जाति धाकड़ उम्र बालिग पेशा कृषि निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. केसर पत्नि जयलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग पेशा कृषि निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. संजय पुत्र जयलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग पेशा कृषि निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
4. संतोष पत्नि कैलाश जाति धाकड़ उम्र बालिग पेशा कृषि निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
5. सुभाष कुमार पुत्र कैलाश जाति धाकड़ उम्र बालिग पेशा कृषि निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.............वादीगण

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग पेशा कृषि निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

............प्रतिवादी

उपस्थित :– 1. श्री घनश्यामलाल धाकड़ – अधिवक्ता वादीगण

वादपत्र अर्न्तगत धारा 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :– 16/07/2024

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के खाते की भूमि मौजा ग्राम दाता उर्फ छोटा थड़ौदा पटवार हल्का थड़ौदा स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 13 पर अंकित आराजी संख्या 512/1 रकबा 0.1376 हैक्टेयर भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं। वादीगण द्वारा प्रतिवादी अथवा अन्य किसी को भी वादग्रस्त आराजी संख्या की भूमि को रहन विक्रय नहीं किया गया है न ही किसी को अनुबन्ध अथवा अन्य किसी प्रकार से अन्तरण कर कब्जा दिया गया है। वादीगण को अपनी खातेदारी में दर्ज भूमि पर कब्जा बनाये रख कृषि भूमि का कृषि लाभ अर्जित करने ओर उसको उन्नत आबाद करने का अधिकार हैं। वादीगण की खातेदारी में दर्ज भूमि होने की उन्हे जानकारी होते हुए अनुचित कृषि लाभ अर्जित कर वादीगण को अनुचित हानि पहुचा रहा हैं। प्रतिवादी ने खाता संख्या 13 पर अंकित आराजी संख्या 512/1 रकबा 0.1376 हैक्टेयर में से 0.0324 हैक्टेयर भूमि पर अपना कब्जा कर लिया हैं। पत्थरगढी के आवेदन के करीब एक वर्ष पश्चात दिनांक 29.04.2022 को प्रतिवादी की मौजूदगी में आराजी संख्या 512/1 रकबा 0.1376 हैक्टेयर में से 0.0324 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा पाया गया हैं।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

वादीगण ने पत्थरगढी के तत्काल पश्चात प्रतिवादी को कब्जा हटाने के लिए कहा प्रतिवादी ने अपना अवैध कब्जा हटाने से मना कर दिया। प्रतिवादी को बेदखल कर वादीगण कब्जा प्राप्त करने का अधिकार रखता हैं। वादीगण स्वयं की खातेदारी भूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। वादीगण ने अनुतोष चाहा कि मौजा ग्राम दाता उर्फ छोटा थड़ौदा पटवार हल्का थड़ौदा स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 13 पर अंकित आराजी संख्या 512/1 रकबा 0.1376 हैक्टेयर में से 0.0324 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादी का बेदखल किया जाकर वादीगण को उसकी खातेदारी का कब्जा प्रतिवादी से दिलाये जाने की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी के सादर फरमायी जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी।

प्रतिवादी वाबजूद इतिल्ला गैर हाजिर रहने से प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

प्रकरण एक पक्षीय होने से तनकीयात कायम नही की गयी।

वकील वादी ने ग्राम दाता उर्फ छोटा थड़ौदा की नकल जमाबन्दी संवत् 2073–2076 पेश की जो प्रदर्श– 1 हैं। एवं पत्थरगढी मौका पर्चा दिनांक 29.04.2022 पेश किया जो प्रदर्श– 2 हैं।

साक्ष्यवादी में पीडब्ल्यू–1 सुभाष कुमार पिता कैलाश चन्द्र धाकड़ नि0 थड़ौदा एवं पीडब्ल्यू–2 संजय पिता जयलाल धाकड़ नि0 थड़ौदा को प्रस्तुत कर कथन लेख बद्ध करवाये गये जो शामिल पत्रावली हैं।

प्रकरण में वादीगण अधिवक्ता ने अन्य किसी प्रकार की शहादत वादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

प्रकरण में प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही करने से शहादत प्रतिवादी बन्द की जाकर प्रकरण बहस में रखा गया।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

अधिवक्तावादीगण ने बहस में अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया हैं। जमीन पर प्रतिवादी का कब्जा होने के सम्बन्ध में पत्थरगढ़ी का मौका पर्चा की फोटो प्रति व भूमि वादीगण के स्वामित्व की होने के सम्बन्ध में जमाबन्दी प्रस्तुत की हैं। वादपत्र डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द करना फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया।

पत्रावली में संलग्न ग्राम दाता उर्फ छोटा थड़ौदा की नकल जमाबन्दी संवत् 2073–2076 खाता संख्या 13 पर अंकित आराजी संख्या 512/1 रकबा 0.1376 हैक्टेयर भूमि वादीगण के नाम पर दर्ज रेकार्ड हैं। वादीगण ने अपने वादपत्र में इसी आराजी नम्बर 512/1 रकबा 0.1376 हैक्टेयर में से रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा होना अंकित किया हैं। प्रतिवादी का वादीगण की भूमि पर अवैध एवं नाजायज कब्जा हैं। प्रतिवादी को यदि किसी प्रकार की आपत्ति होती तो न्यायालय में उपस्थित होकर चाराजोही करता। प्रकरण एक पक्षीय हैं। वादीगण के वादपत्र एवं प्रस्तुत गवाह के साक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजोलियाँ (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
बिजोलियाँ जिला-भीलवाड़ा

शेष पेज संख्या 03 पर

–: आदेश :–

वादपत्र वादीगण अन्तर्गत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादीगण विरुद्ध ादी डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम दाता उर्फ छोटा थड़ौदा स्थित खाता या 13 पर अंकित आराजी संख्या 512/1 रकबा 0.1376 हैक्टेयर में से रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि से वादी ओमप्रकाश पुत्र मोतीलाल धाकड़ उम्र बालिग निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ को बेदखल या जाकर कब्जा वादीगण संख्या 01 लगायत 05 अंकित, केसर, संजय, संतोष, सुभाष को सिपुर्द किया वें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करें। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब कर जावें।

आदेश आज दिनांक 16/07/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

बईजलास श्रीमान अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 54/2022

दायर तारीख 19.09.2022

अनवान्

1. अंकित पुत्र कैलाश जाति धाकड़ उम्र बालिग पेशा कृषि निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. केसर पत्नि जयलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग पेशा कृषि निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. संजय पुत्र जयलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग पेशा कृषि निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
4. संतोष पत्नि कैलाश जाति धाकड़ उम्र बालिग पेशा कृषि निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
5. सुभाष कुमार पुत्र कैलाश जाति धाकड़ उम्र बालिग पेशा कृषि निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

............डिक्रीदार

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग पेशा कृषि निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

............मदयून

उपस्थित :– 1. श्री घनश्यामलाल धाकड़ – अधिवक्ता वादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक 16/07/2024
डिक्री दिनांक 16/07/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान श्री घनश्यामलाल धाकड़ अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादी एकपक्षीय उपस्थित के समक्ष हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादीगंण अन्तर्गत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी ड़िक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि **मौजा ग्राम दाता उर्फ छोटा थड़ौदा स्थित खाता संख्या 13 पर अंकित आराजी संख्या 512/1 रकबा 0.1376 हैक्टेयर में से रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादी ओमप्रकाश पुत्र मोतीलाल धाकड़ उम्र बालिग निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण संख्या 01 लगायत 05 अंकित, केसर, संजय, संतोष, सुभाष को सिपुर्द किया जावें।** खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करें। उक्तानुसार ड़िक्री मुर्तिब कर जावें।

नीज ....Nil............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ....
..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 07 वर्ष 2024 को जारी की गयी।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

लगातार पेज संख्या 02 पर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया			स्टाम्प अरजीदया		
स्टाम्प वकीलात नामा			स्टाम्प वकीलात नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील ( )			महनताना वकील ( )		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाह		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मुनफरिक			मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)